



JEEVIKA

Rural Development Department, Government of Bihar

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



बिहार सरकार

3rd Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph.: +91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website : www.brlps.in

Ref. No.: BRLPS/Proj-LS/2725/26/6233

Date: 26/10/26

Guideline For Financial Provision of Jeevika Sudha Bikri Kendra

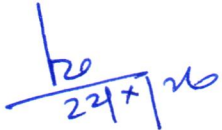
Vide BRLPS Office Order No. BRLPS/Proj-LS/2725/26/1130 dated 06.07.2026, guideline was issued for the implementation of Jeevika Sudha Bikri Kendra (JSBK) under the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana (MMRY). Subsequently, Office Order No. 4258 dated 10.08.2026 was issued regarding the disbursement of funds for the establishment of JSBK. As per the guidelines, financial assistance of ₹60,000/- per individual household was to be provided upon submission of the fund demand and completion of the prescribed LCM process.

Thereafter, vide BRLPS Office Order No. BRLPS/Proj-LS/2725/26/4457 dated 19.08.2026, it was instructed that consent forms be obtained from the selected beneficiaries and that funds for the procurement of items required for JSBK be transferred directly to COMFED.

In view of the revised implementation approach, the provisions of BRLPS Office Order No. BRLPS/Proj-LS/2725/26/1130 dated 06.07.2026 and Office Order No. 4258 dated 10.08.2026 shall henceforth be followed. Accordingly, Office Order No. BRLPS/Proj-LS/2725/26/4457 dated 19.08.2026 is proposed to be withdrawn.

Further, a Joint Office Order has been signed detailing the process flow and the respective roles and responsibilities of JEEVIKA and COMFED in the implementation of JSBK.

Annexure: Joint Office Order


(Himanshu Sharma)
CEO, BRLPS

Copy to:-

1. MD, COMFED
2. Director/OSD/AO/CFO/PC/PS
3. All SPMs and PMs
4. All DPMs/In Charge/All Thematic Managers/In charge/All YPs
5. All BPMs
6. IT Section
7. Concern File

संयुक्त कार्यालय आदेश

जीविका सुधा बिक्री केंद्र (JSBK) की स्थापना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं कार्य-योजना

1. पृष्ठभूमि

सात निश्चय-3 (2025-2030) के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने का लक्ष्य है। इसके निश्चय 3 "कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि" के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जानी है।

इस लक्ष्य के लिए कॉम्पेड (बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.), जीविका के साथ अभिसरण (Convergence) के माध्यम से राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र (JSBK) स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mukhya Mantri Mahila Rozgar Yojna) के अंतर्गत पात्र लाभुकों को केंद्र की स्थापना हेतु अधिकतम ₹60,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सहायता से डीप फ्रीजर, विजी कूलर, ब्रांडिंग सामग्री एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

लाभुकों का चयन पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी, सरल एवं सर्वसुलभ रहे। अंतिम चयन ऑनलाइन रैंडमाइजेशन (लॉटरी) प्रणाली से किया जा रहा है।

इसी क्रम में जीविका (बिहार) के पत्रांक BRLPS/Proj&LS/2725/26/1130, दिनांक 06.07.2026 द्वारा सभी जिलों में चयनित जीविका दीदियों के माध्यम से कुल 8,053 जीविका सुधा बिक्री केंद्रों की स्थापना, ब्रांडिंग, कमीशनिंग एवं सुचारु संचालन के निर्देश जारी किए गए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जीविका एवं कॉम्पेड संयुक्त रूप से निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं विस्तृत कार्य-योजना का आदेश जारी करते हैं।

2. लाभुक का चयन

1. जीविका के द्वारा निर्धारित पात्रता एवं पारदर्शी मापदंडों के आधार पर राज्य की 8,053 पंचायतों में प्रति पंचायत एक योग्य एवं इच्छुक जीविका दीदी का चयन किया जाएगा।
2. चयनित जीविका दीदियों की अनुमोदित सूची जीविका मुख्यालय द्वारा कॉम्पेड मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उपलब्ध सूची के अनुसार कॉम्पेड से संबंधित जिला नोडल एवं संबंधित प्रखंड के Livestock Nodal (LHS/AC/CC) द्वारा जीविका के चयनित लाभुकों की दुकानों का GPS mapping/tagging पुनः संयुक्त सत्यापन किया जाएगा।
4. GPS tagging के दौरान दुकान के मान्य मानक में कोई त्रुटि पर कॉम्पेड इसकी जानकारी जीविका के संज्ञान में लाया जाएगा।

5. मानक के अनुरूप पाई गई सभी दुकानों की जियो-टैगिंग COMFED द्वारा किया जाएगा और जियो-टैग की गई दुकानों की सूची, दुकानदार के नाम एवं LOKOS ID के साथ जीविका को उपलब्ध कराया जायेगा |

3. योजना अंतर्गत बजटीय प्रावधान

(जीविका सुधा बिक्री केंद्र में COMFED के द्वारा कुल तीन तरह के मशीन उपलब्ध कराया जाना है तथा दुकान की ब्रांडिंग कराई जानी है | उसके अनुमानित खर्च का आकलन निम्नवत किया गया है |)

क्र. सं.	सामग्री / मद	उद्देश्य	राशि (₹)	उपलब्ध कराने वाला
1	डीप फ्रीजर (300 लीटर)	आइसक्रीम हेतु	21,326	कॉम्फेड
2	विजी कूलर (300 लीटर)	उत्पाद हेतु	28,500	कॉम्फेड
3	ब्रांडिंग सामग्री	ब्रांडिंग प्रदर्शन हेतु	3,058	कॉम्फेड
4	डीप फ्रीजर एवं विजी कूलर का परिवहन	पंचायत स्तर तक	2,000	कॉम्फेड
5	ब्रांडिंग सामग्री का परिवहन	पंचायत स्तर तक	1,000	कॉम्फेड
	कॉम्फेड द्वारा दी जाने वाली सामग्री का उप-योग		55,884	
6	दुकान का रंग-रोगन एवं मरम्मत	दुकान की तैयारी	4,116	लाभुक द्वारा स्वयं यह कार्य करवाया जाएगा।
	कुल राशि		60,000	

- I. मद 4 एवं 5 में वर्णित की कुल राशि ₹3,000 (परिवहन, कमीशनिंग इत्यादि के लिए) दुग्ध संघ/इकाई को देय है ब्रांडिंग के अंतर्गत सनफ्लेक्स बोर्ड, फ्लैक्स लाइट बोर्ड, तथा प्रत्येक जीविका दीदी को एक एप्रन एवं एक टोपी दी जाएगी।
- II. कॉम्फेड डीप फ्रीजर, विजी कूलर एवं ब्रांडिंग सामग्री के सूचीबद्ध वेंडरों का विवरण जीविका मुख्यालय के साथ साझा करेगा।

- III. ₹60,000 की परियोजना लागत के अतिरिक्त, लाभुक द्वारा ₹15,000 की राशि कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में इस व्यवसाय में निवेश की जाएगी। इस राशि का उपयोग लाभुक द्वारा दुकान पर बिक्री हेतु विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी करने के लिए किया जाएगा।

4. अनुदान वितरण एवं मशीन का अधिष्ठापन

1. कॉम्पेड द्वारा जियो-टैग की गई लाभुक सूची जीविका के साथ साझा होने के बाद जीविका Mukhya Mantri Mahila Rozgar Yojna के अंतर्गत निधि वितरण की प्रक्रिया के अनुरूप चयनित लाभार्थी परिवारों से निधि की मांग निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगी।
2. मांग के आधार पर LCM की प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत कुल राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
3. चयनित लाभार्थी निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा-पत्र देंगी कि Mukhya Mantri Mahila Rozgar Yojna के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग केवल जीविका सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु किया जाएगा।
4. राशि अंतरण के बाद और सामग्री की आपूर्ति से पूर्व लाभार्थी कॉम्पेड द्वारा दी जा रही सामग्री के कुल मूल्य (₹55,884) का एक पोस्ट-डेटेड चेक संबंधित BPIU में जीविका के नोडल पदाधिकारी (BPM) को जमा करेंगी।
5. चेक जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित BPM की होगी।
6. सामग्री को लाभार्थी परिवार तक सावधानीपूर्वक पहुँचाने, अधिष्ठापन तथा गुणवत्ता जाँच लेने के बाद, BPM यह चेक कॉम्पेड (Bihar State Milk Co-operative Federation Ltd.) के द्वारा निर्धारित बैंक खाते में (H.D.F.C. Bank, Patliputra Colony, Patna Account No. 99999473199181, IFSC Code- HDFC0002643, Branch Code- 2643) जमा कराएंगे।

5. जीविका का दायित्व

1. जीविका द्वारा प्रत्येक जिले में एक समर्पित जिला नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जो कॉम्पेड के जिला नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक सप्ताह लाभुकों का संयुक्त सत्यापन करेंगे। इसके अतिरिक्त, कार्य की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक की दुकान/स्थल उपकरणों की स्थापना एवं सामग्री की डिलीवरी के लिए पूर्णतः तैयार हो।
2. सामग्री की आपूर्ति के बाद संबंधित लाभार्थी, जीविका नोडल एवं कॉम्पेड नोडल पदाधिकारी/प्रतिनिधि मिलकर सामग्री का सत्यापन करेंगे और उपकरणों की अधिष्ठापन सुनिश्चित करेंगे।

905

पृष्ठ 3

3. सभी उपकरणों के सत्यापन के उपरांत संबंधित जीविका दीदी बिल के विरुद्ध कॉम्पेड/अधिकृत वेंडर को भुगतान करेंगी। भुगतान के बाद सभी बिल को स्कैन कर संबंधित CLF में जमा किया जाएगा।
4. CLF सभी लाभुकों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) संकलित कर BPIU को भेजेगा। BPIU UC का संकलन एवं आवश्यक सत्यापन कर इसे DPCU को आगे की कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करेगा।
5. संयुक्त भौतिक सत्यापन के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जीविका के संबंधित स्टाफ द्वारा जीविका द्वारा विकसित JSBK पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

6. COMFED का दायित्व

(क) जिला समन्वय एवं सहायता प्रकोष्ठ

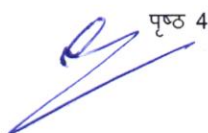
1. कॉम्पेड के जिला नोडल जिला गतिविधि योजना, लाभुक-वार क्रियान्वयन ट्रैकर, क्षेत्रीय मार्ग योजना एवं उत्तरदायित्व मैट्रिक्स तैयार करेंगे। वे रिटेल कोड निर्माण, आउटलेट की तैयारी, उपकरण की डिलीवरी एवं कमीशनिंग, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक बिक्री की निरंतर निगरानी भी करेंगे। जीविका के जिला-स्तरीय नामित पदाधिकारी आवश्यकतानुसार सहयोग देंगे।
2. सामग्री तैयार होने पर कॉम्पेड के जिला नोडल पदाधिकारी एवं जीविका के जिला पशुधन प्रबंधक/ प्रभारी संयुक्त रूप से उन लाभुकों की सूची तैयार करेंगे, जिनकी दुकानों पर सामग्री की डिलीवरी की जानी है।

(ख) रिटेल कोड एवं DMS पंजीकरण

1. जीविका से चयनित लाभार्थियों की सूची मिलते ही कॉम्पेड की विपणन टीम जीविका सुधा बिक्री केंद्र के निबंधन की प्रक्रिया शुरू करेगी।
2. लाभुक सूची प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर विपणन टीम DMS ऐप से आउटलेट (बिक्री केंद्र) की जियो-टैगिंग करते हुए रिटेल कोड बनाएगी। जीविका दीदी की LOKOS ID ही रिटेल कोड होगी।
3. DMS ऐप के रिटेलर मास्टर डेटाबेस में लाभार्थी का नाम, LOKOS ID, मोबाइल नंबर, जिला, प्रखंड, पंचायत का विवरण तथा वितरक मैपिंग कॉम्पेड की टीम द्वारा दर्ज की जाएगी।
4. संबंधित दुग्ध संघ/इकाई कॉम्पेड के माध्यम से सुधा उत्पादों की नवीनतम मूल्य-सूची प्रत्येक केंद्र पर प्रदर्शित कराएगी।

(ग) सामग्री की आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशनिंग

1. कॉम्पेड द्वारा अनुमोदित जिला-वार मांग के आधार पर सूचीबद्ध (empanelled) वेंडरों को डीप फ्रीजर (300 लीटर), विजी कूलर (300 लीटर,) एवं ब्रांडिंग सामग्री के लिए क्रय आदेश (PO) कॉम्पेड द्वारा जारी किया जाएगा।



पृष्ठ 4

2. वेंडर डीप फ्रीजर, विजी कूलर एवं ब्रांडिंग सामग्री की आपूर्ति संघ/इकाई स्तर पर करेंगे। संघ/इकाई अपने परिसर में वाहन से अनलोडिंग की व्यवस्था करेगी।
3. संघ/इकाई द्वारा डीप फ्रीजर एवं विजी कूलर की सुरक्षित अनलोडिंग, विद्युत परीक्षण एवं कमीशनिंग संघ/इकाई के प्रतिनिधि की देखरेख में की जाएगी।
4. केंद्र को सनफ्लेक्स बोर्ड एवं फ्लैज से सुसज्जित किया जाएगा और प्रत्येक जीविका दीदी को दैनिक उपयोग हेतु एक एप्रन एवं एक टोपी दी जाएगी। कॉम्फेड के राज्य नोडल पदाधिकारी संघ एवं इकाई के माध्यम से इनका वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
5. संघ/इकाई को परिवहन, कमीशनिंग इत्यादि मद में कुल ₹3,000 देय होगा (₹2,000 डीप फ्रीजर एवं विजी कूलर के लिए तथा ₹1,000 ब्रांडिंग सामग्री के परिवहन के लिए)।
6. उपकरणों के मॉडल/सीरियल नंबर, वारंटी दस्तावेज, जियो-टैग फोटो, लाभुक की पावती तथा कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित संघ/इकाई के प्रतिनिधि कॉम्फेड मुख्यालय में जमा करेंगे।
7. कॉम्फेड द्वारा जेएसबीके (JSBK) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए उपकरणों एवं उत्पादों की गारंटी/वारंटी सुनिश्चित की जाएगी। वारंटी अवधि के दौरान उपकरणों में बार-बार खराबी आने की स्थिति में कॉम्फेड द्वारा आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन (Replacement) की व्यवस्था की जाएगी।
8. डीप फ्रीजर एवं विसी कूलर की वारंटी/गारंटी (Comprehensive Warranty/Guarantee) निविदा में प्राप्त वेंडर द्वारा निर्धारित अवधि तक वैध रहेगी। डीप फ्रीजर के लिए न्यूनतम 48 माह (4 वर्ष) की व्यापक वारंटी तथा विसी कूलर (Visi Cooler) के लिए न्यूनतम 12 माह (1 वर्ष) की व्यापक वारंटी एवं उसके अतिरिक्त 2 वर्ष (कंप्रेसर हेतु) की वारंटी देय होगी। वारंटी अवधि की गणना के लिए अंतिम उत्पाद की डिलीवरी की तिथि को ही वारंटी अवधि के प्रारंभ की तिथि माना जाएगा।

(घ) प्रशिक्षण, वितरक मैपिंग एवं नियमित आपूर्ति

1. कॉम्फेड सभी चयनित लाभुकों को केंद्र के संचालन, डेयरी उत्पादों के रख-रखाव, बिक्री प्रक्रिया एवं संबंधित विषयों पर ऑडियो-विजुअल माध्यम से प्रशिक्षण देगा।
2. प्रत्येक केंद्र को संबंधित दुग्ध संघ/इकाई द्वारा आइसक्रीम, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के अधिकृत वितरकों (Distributors) से जोड़ा जाएगा। केंद्र के संचालन हेतु आवश्यक डेयरी उत्पादों की नियमित आपूर्ति कॉम्फेड के माध्यम से संघों एवं इकाइयों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
3. सभी जिलों में दुग्ध संघ के विपणन प्रभारी प्रत्येक केंद्र की रूट-मैपिंग, डिलीवरी समय-सारणी तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. नियमित वितरक के सेवा देने में असमर्थ होने पर संघ द्वारा मार्ग विस्तार, वैकल्पिक वितरक, प्रखंड स्टॉक प्वाइंट अथवा सीधे रूट-वाहन से आपूर्ति की जाएगी।
5. वितरक DMS ऐप पर प्राप्त मांग के अनुसार दूध, दही, पनीर, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क, घी, मिठाई एवं आइसक्रीम की आपूर्ति सही तापमान, वैध शेल्फ-लाइफ एवं उचित चालान के साथ करेगा।
6. तेजी से बिकने वाले उत्पादों का बफर स्टॉक वितरक स्तर पर रखा जाएगा, जो प्रतिदिन की औसत बिक्री का कम से कम 2 से 3 गुना हो, ताकि किसी भी केंद्र पर स्टॉक-आउट न हो।

7. समीक्षा

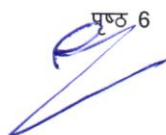
1. SPM (पशुधन), जीविका मुख्यालय राज्य नोडल पदाधिकारी के रूप में परियोजना के समग्र अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे।
2. प्रबंधक (विपणन), कॉम्पेड मुख्यालय राज्य नोडल पदाधिकारी के रूप में परियोजना के समग्र अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे।
3. कॉम्पेड के राज्य नोडल पदाधिकारी दुग्ध संघों, जीविका मुख्यालय, जिला नोडल पदाधिकारियों तथा सूचीबद्ध वेंडरों से समन्वय कर समय-सीमा के अनुसार सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
4. दोनों नोडल पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर इस गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5. नीतिगत गतिरोध अथवा अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित मामलों का निपटारा दोनों राज्य नोडल पदाधिकारी संयुक्त बैठक में करेंगे। आवश्यकता होने पर वरीय पदाधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।
6. प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO), BRLPS सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा परियोजना से संबंधित नीतिगत निर्णय, अंतर-संस्थागत समन्वय एवं प्रगति की आवश्यकतानुसार पर उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे।

डेटा विश्लेषण टीम

1. परियोजना की प्रगति तथा पंचायत, प्रखंड एवं जिला-वार उत्पाद बिक्री का आकलन करने हेतु कॉम्पेड मुख्यालय में एक विशेष डेटा विश्लेषण टीम कार्य करेगी।
2. टीम DMS डैशबोर्ड से दैनिक ऑर्डर बुकिंग, उत्पाद-वार बिक्री एवं ऑर्डर पूर्ति दर (Order Fulfilment Rate) का विश्लेषण करेगी।
3. छूटी हुई डिलीवरी, संभावित स्टॉक-आउट, वितरक के प्रदर्शन एवं निष्क्रिय केंद्रों का त्वरित विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।



पृष्ठ 6



4. मौसम, स्थानीय मांग के रुझान एवं त्योहारों के आधार पर मार्ग-वार मांग का पूर्वानुमान (Demand Forecasting) तैयार किया जाएगा।
5. कम बिक्री वाले आउटलेट्स की पहचान कर बिक्री संवर्धन की रणनीति बनाई जाएगी।
6. विश्लेषण प्रतिवेदन प्रतिदिन एवं साप्ताहिक आधार पर कॉम्पेड के शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कॉम्पेड प्रत्येक माह BRLPS के साथ स्थापित एवं संचालित केंद्रों की संख्या, उत्पादों की आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक प्रगति विवरण सहित अद्यतन डेटा साझा करेगा।

8. जीविका सुधा बिक्री केंद्र संचालन नियमावली

1. केंद्र से केवल कॉम्पेड द्वारा अनुमोदित **सुधा ब्रांड** के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, मिठाई आदि) की ही बिक्री की जाएगी।
2. बिक्री केवल कॉम्पेड द्वारा मुद्रित **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर होगी। MRP से अधिक मूल्य लेना दंडनीय होगा।
3. सभी केंद्रों पर उत्पादों की उपलब्धता जिला स्तर के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
4. डीप फ्रीजर एवं विजी कूलर का निरंतर संचालन कर निर्धारित तापमान एवं कोल्ड-चेन मानकों का पालन किया जाएगा।
5. केंद्र एवं उपकरणों की स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई तथा एप्रन का उपयोग प्रतिदिन अनिवार्य होगा।
6. चयनित केंद्र के निकट नया अधिकृत सुधा रिटेल आउटलेट न्यूनतम **100 मीटर** की दूरी पर ही खोला जा सकेगा। इसका सत्यापन स्थल निरीक्षण एवं जियो-टैगिंग से दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में जीविका दीदी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। पहले से कार्यरत सुधा रिटेल आउटलेट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

9. शिकायत निवारण

1. कॉम्पेड से संबंधित दुग्ध संघ की ओर से प्रत्येक जिले में एक समर्पित जिला नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। जीविका एवं कॉम्पेड के दोनों जिला नोडल पदाधिकारी संयुक्त रूप से **जिला समन्वय एवं सहायता प्रकोष्ठ** के रूप में कार्य करेंगे और जिले में सभी गतिविधियों के समय पर क्रियान्वयन एवं अनुपालन के लिए जवाबदेह होंगे।
2. नियंत्रण कक्ष में दो पालियों (Shifts) में कार्य करने वाली **दो-सदस्यीय समर्पित शिकायत निवारण टीम** तैनात रहेगी। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक संदर्भ संख्या (Ticket ID) दी जाएगी।
3. डीप फ्रीजर, विजी कूलर या बोर्ड में तकनीकी खराबी पाए जाने पर ARC/टेंडर की वारंटी शर्तों के अंतर्गत अधिकतम **2 से 3 कार्य दिवस** में समाधान किया जाएगा।

  पृष्ठ 7

4. प्रथम स्तर पर जिला नोडल पदाधिकारी एवं संघ के विपणन प्रभारी तुरंत कार्रवाई शुरू करेंगे और सामान्य समस्याओं का समाधान 2 दिनों के भीतर करेंगे।
5. जिला स्तर पर अनसुलझे मामले 2 दिनों के भीतर समाधान हेतु संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक को भेजे जाएंगे।
6. दोनों नोडल पदाधिकारी लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति एवं अपवाद प्रतिवेदन अपने-अपने मुख्यालय को भेजेंगे और लंबित मामलों का 2 से 3 कार्य दिवस में निपटारा करेंगे।
7. नीतिगत मामलों के निपटारे हेतु मामले कॉम्पेड मुख्यालय के विपणन प्रभारी, प्रबंध निदेशक एवं राज्य नोडल को भेजे जाएंगे।
1. प्रत्येक शिकायत के निवारण का विधिवत रिकॉर्ड, की गई कार्रवाई तथा लाभुक की संतुष्टि रिपोर्ट DMS पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। परियोजना की प्रत्येक गतिविधि, आपूर्ति एवं प्रगति के दैनिक अनुश्रवण हेतु कॉम्पेड मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।
2. नियंत्रण कक्ष DMS डैशबोर्ड के माध्यम से सभी 8,053 केंद्रों के रिटेल कोड निर्माण, जियो-टैगिंग, उपकरण डिलीवरी और दैनिक परिचालन की स्थिति पर नजर रखेगा।
3. नियंत्रण कक्ष में परियोजना कार्य, रिकॉर्ड संधारण एवं MIS प्रविष्टि हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 4 कनीय कार्यपालक (विपणन) तैनात रहेंगे। समग्र पर्यवेक्षण, संघों के साथ दैनिक समन्वय एवं प्रगति प्रतिवेदन हेतु मुख्यालय स्तर पर 2 कार्यपालक (विपणन) पदस्थापित रहेंगे। प्रत्येक दुग्ध संघ/इकाई भी परियोजना समन्वय एवं दैनिक रिपोर्टिंग हेतु एक समर्पित कर्मी प्रतिनियुक्त करेगी।
4. नियंत्रण कक्ष दैनिक एवं साप्ताहिक समेकित प्रगति प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत करेगा।

यह संयुक्त आदेश दोनों संस्थाओं के सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत सभी संबंधितों को अनुपालन हेतु तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


15/10/2028

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
(कॉम्पेड)



मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
(जीविका)

प्रतिलिपि:

- सभी जीविका पदाधिकारी।
- सभी दुग्ध संघ एवं इकाई।
- सभी नोडल पदाधिकारी (कॉम्पेड एवं जीविका)।
- सभी शाखा प्रभारी (कॉम्पेड मुख्यालय)।

संलग्नक
कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र
जीविका सुधा बिक्री केंद्र
डीप फ्रीजर, विजी कूलर एवं ब्रांडिंग सामग्री प्राप्ति-पत्र

जिला: प्रखंड: पंचायत:

सुधा बिक्री केंद्र (JSBK) का नाम:

लाभुक का नाम: LOKOS ID:

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त लाभुक को सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना हेतु निम्न सामग्री वितरित की गई है:

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा	मॉडल/सीरियल नं.	प्राप्ति	दिनांक
1	डीप फ्रीजर				
2	विजी कूलर				
3	एप्रन				
4	सन बोर्ड				
5	फ्लैक्स लाइट बोर्ड				
6	कैप				

उपर्युक्त सामग्री लाभुक द्वारा प्राप्त कर ली गई है। उपकरणों के मॉडल/सीरियल नंबर, वारंटी दस्तावेज एवं सामग्री का सत्यापन कर लिया गया है तथा जियो-टैगिंग फोटो संलग्न है। सभी सामग्री (डीप फ्रीजर, विजी कूलर, एप्रन, सन बोर्ड, फ्लैक्स लाइट बोर्ड एवं कैप) लाभुक ने सही अवस्था में प्राप्त की है।

स्थान:

दिनांक:

लाभुक नाम: मो. नं.: हस्ताक्षर:	जीविका प्रतिनिधि (BPM/LHS) नाम: पदनाम: हस्ताक्षर:	कॉम्फेड प्रतिनिधि नाम: पदनाम: हस्ताक्षर:
जिला पशुपालन प्रबंधक जीविका नाम: मो. नं.: हस्ताक्षर:	विपणन प्रभारी, कॉम्फेड नाम: मो. नं.: हस्ताक्षर:	

संलग्न: सामग्री का फोटोग्राफ (जियो-टैगिंग सहित) एवं चालान की छायाप्रति।

कार्य प्रवाह (चरण-दर-चरण)

जियो-टैग की गई लाभुक सूची जीविका को प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

चरण	कार्य	उत्तरदायी
1	दुकान की तैयारी की पुष्टि: सामग्री भेजने से पहले कॉम्पेड के राज्य नोडल पदाधिकारी & जीविका के नोडल पदाधिकारी जीविका दीदी से संपर्क कर उनकी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और संघ/इकाई को सूचित करेंगे।	जीविका एवं कॉम्पेड
2	निधि की मांग: MMRV के अंतर्गत निधि वितरण की प्रक्रिया के अनुरूप चयनित लाभुक परिवारों से निधि की मांग निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जाएगी।	जीविका
3	राशि का अंतरण: LCM की प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत कुल राशि DBT के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।	जीविका
4	स्व-घोषणा-पत्र: लाभुक निर्धारित प्रारूप में यह स्व-घोषणा देंगी कि MMRV की राशि का उपयोग केवल जीविका सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु किया जाएगा।	लाभुक (जीविका दीदी)
5	चेक जमा करना: सामग्री की आपूर्ति से पहले लाभुक कॉम्पेड द्वारा दी जाने वाली सामग्री के कुल मूल्य (₹55,884) का एक पोस्ट-डेटेड चेक संबंधित BPIU में जीविका के BPM को देंगी। BPM यह चेक प्राप्त कर कॉम्पेड द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराएंगे।	लाभुक एवं BPM
6	रिटेल कोड एवं DMS पंजीकरण: लाभुक सूची प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कॉम्पेड की विपणन टीम DMS ऐप से आउटलेट की जियो-टैगिंग कर रिटेल कोड बनाएगी। जीविका दीदी की LOKOS ID ही रिटेल कोड होगी।	कॉम्पेड विपणन टीम
7	क्रय आदेश (PO): कॉम्पेड द्वारा अनुमोदित जिला-वार मांग के आधार पर सूचीबद्ध (empanelled) वेंडरों को डीप फ्रीजर, विजी कूलर एवं ब्रांडिंग सामग्री हेतु PO जारी किया जाएगा।	कॉम्पेड
8	आपूर्ति: वेंडर संघ/इकाई स्तर तक सामग्री पहुँचाएंगे। संघ/इकाई अपने परिसर में अनलोडिंग कराएगी और सामग्री सीधे जीविका सुधा बिक्री केंद्र (JSBK) तक पहुँचाएगी।	वेंडर एवं दुग्ध संघ/इकाई

चरण	कार्य	उत्तरदायी
9	स्थापना एवं कमीशनिंग: संघ/इकाई के प्रतिनिधि की देखरेख में सुरक्षित अनलॉडिंग, विद्युत परीक्षण एवं कमीशनिंग की जाएगी। केंद्र पर सनफ्लेक्स बोर्ड एवं फ्लैज लगाए जाएंगे तथा एप्रन एवं टोपी दी जाएगी।	दुग्ध संघ/इकाई
10	संयुक्त भौतिक सत्यापन: लाभुक, जीविका नोडल एवं कॉम्फेड प्रतिनिधि मिलकर सामग्री की जाँच करेंगे और देखेंगे कि कोई खराबी न हो। उपकरणों का मॉडल/सीरियल नंबर, वारंटी दस्तावेज, जियो-टैग फोटो, लाभुक की पावती एवं कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र का सत्यापन होगा।	लाभुक, जीविका एवं कॉम्फेड
11	पोर्टल पर अपलोड: सत्यापन के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र JSBK पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	जीविका BPM/SPM; संघ/इकाई
12	भुगतान एवं बिल: सभी उपकरणों के सत्यापन के उपरांत जीविका दीदी बिल के विरुद्ध कॉम्फेड/अधिकृत वेंडर को भुगतान करेंगी। भुगतान के बाद सभी बिलों की स्कैन प्रति CLF में जमा की जाएगी।	जीविका दीदी; CLF
13	उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC): CLF सभी लाभुकों की UC समेकित कर BPIU को देगा। BPIU संकलन एवं आवश्यक सत्यापन कर इसे DPCU को आगे की कार्रवाई हेतु भेजेगा।	CLF, BPIU, DPCU
14	प्रशिक्षण एवं वितरक मैपिंग: सभी लाभुकों को केंद्र संचालन, डेयरी उत्पादों के रख-रखाव एवं बिक्री प्रक्रिया पर ऑडियो-विजुअल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र को आइसक्रीम, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के अधिकृत वितरक से जोड़ा जाएगा।	कॉम्फेड एवं दुग्ध संघ/इकाई
15	कॉम्फेड द्वारा जेएसबीके (JSBK) को उपलब्ध कराए गए उपकरणों एवं सामग्रियों की गारंटी/वारंटी सुनिश्चित की जाएगी।	कॉम्फेड एवं दुग्ध संघ/इकाई
16	संबंधित दुग्ध संघ द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।	कॉम्फेड एवं दुग्ध संघ/इकाई